

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अदालत
महाराष्ट्र

19 02
23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपरोक्त बहल
 प्रार्थीगण वकील परमनन क्रिया। फा. वज अत्याची
 निषेधाज्ञा एवं पत्रावली के अक्लोजन क्रिया गया।
 मूल प्रकरण उद्घोषणा, तडासा, पुढली इंडेण का ही मूल
 प्रकरण के विषयित विस्तारण तब अप्राथीगण को
 वादशुल्क भूमि के आंग व रिजॉर्ड की यथास्थिति बनाये
 रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।
 अतः प्रार्थीगण वकील बहल परमनन करने एवं
 पत्रावली के अक्लोजन के आधार पर प्रकरण में जारी
 अंतरिम अत्याची निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 13/02/23
 को तात्कालीन मूल प्रकरण। बाद कन्फर्म किया जाता है
 पत्रावली के फल शुमार होकर बाद तब मील हस्ताक्षर
 मूलवाद रहे।

24/02/23
 न्यायाधीश (सी.जे.)

23/10/30

23/10/30
 न्यायाधीश (सी.जे.)
 न्यायाधीश (सी.जे.)